

Form No-111

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज्ञ अदालत

उपाखण्ड अधिकारी

मुकाम रायसिंहनगर

कुलपिंडु विट्टा I.P.D

बनाम सरकार

किसम मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 36 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 / 525

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
5/10/2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार राजसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/ दिनांक 5/10/2021 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैंप कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थी के नाम चक I.P.D की जमावंदी सम्वत् 2025-2028 के खाता सं. 26 में कुलपिंडु विट्टा I.P.D. मलकीपट्ट विट्टा वगैरे जज के स्थान पर के आदेश दिए जायेंगे।</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैंप कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार के आधार पर वाके चक I.P.D तहसील रायसिंहनगर की जमावंदी सम्वत् 2025-2028 के खाता सं. 26 में के आदेश दिए जायेंगे।</p> <p>के स्थान पर के आदेश दिए जायेंगे।</p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दपतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अपिता सोनी)
 उपाखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर
 कैंप खाली कमा

